

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही फैला जाए ज
कि किंतु अब यदोषिकाठी के बान हो।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्ण भौ पञ्च
व्यवहार कुम्हा हो तो पञ्च क्रमांक एवं डिलेक्ट
अवश्य लिखा जाए जिससे उपर्या हो।



मान : गृहीतप्रियं
दृष्टभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4607

दिनांक: 27/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध गोपेश शिक्षा महाविद्यालय, भुराट, ग्वालियर (0751-2566215) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित अंचलित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसा एवं प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवर्त्यम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीक विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)


(2) प्रो. डी.एच. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. डी.एल. यादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवर्त्यम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, घोटकर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राक्षर्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुशंसा एवं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त नियार्थित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय त्वयं उत्तरदायी होगा। निरीक्षण सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति त्वयः निरीक्षण की जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्णबन्ध किया जावेगा। परिवर्त्यम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवादों को प्रवेश देगा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रावाली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वर्तुलिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय हारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियार्थित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अंदर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के लिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए न
कि किसी अन्य प्राधिकारी ये नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पञ्च
व्यवहार दुआ तो तो पञ्च क्रांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सविचा हो।



ग्राम : शूलीवर्सी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५७३

दिनांक: ८/१०६/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर दो सम्बद्ध गोपेश कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, सी.पी. कॉलोनी, मुहर, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, सनाकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442630)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. राश्मि शर्मा, प्राचार्या, रांत्योगी मानसिंह शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुशासन है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांधित शैक्षणिक/अशेष तापिक स्ट्रोक, प्राविष्ट संस्था से प्राप्त शास्त्रमति/अवापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आविनेन्स तथा पिछले सत्र में ही गई शर्तों की पूर्ति या प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशेषाणिक स्ट्रोक की विद्युक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपालिका के विरेन्यानुसार वर्ष 2012-13 के जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। याः समस्त समितियों के संयोजकों एवं गठाविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तराधिकार है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण विद्यार्थी अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के विराजित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि करता है तो संबंधित संयोजक तत्वं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। जो ही गठाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यी लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी हैं: आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय द्वा निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुढ़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कूलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से सी दिक्षा जाए व
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से न
संबंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए जिससे सुविधा हो।



ग्राम : शूलीपुरी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(ग्वालियर)
2442462 (मिवाल)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कूलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/5317

दिनांक : 27/09/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपालिषद् की
बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के विण्यालुसार गोपेश शिक्षा महाविद्यालय,
मुहर, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रतापित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाइ
सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय रामय-समय पर शासी निकाय की बैठकें आयोजित करें।
2. छेत्र का मैदान विकसित किया जाए।
3. पुस्तकालय के लिए रु. 50,000/- की पुस्तकें एवं जर्नल्स क्रय करें।

आदेशालुसार

कूलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, गोपेश शिक्षा महाविद्यालय, मुहर, ग्वालियर
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. श्रीजीव अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल
परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कूलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यगारी हेतु।

सहायक कूलसचिव (सम्बद्धता)